



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थायी समिति की सोमवार, दिनांक 02.11.2020 को समय

मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या-परिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.10.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है) (पृष्ठ 01 से 04 तक)
02. विद्या-परिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.10.2020 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।
03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	
(i)	शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय, भाटागांव, रायपुर	B.Sc.-III-Bio. Group-Chemistry, Botany, Zoology	120	2020-21	1. प्रो. के.के. घोष, रसायन अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	
		B.A.-III-(F.C.- Hindi, English), Economics, Political Science, Geography)	90		2. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	
		B.Com.-III-All Compulsory Subject	90		3. डॉ. अनुसुईया बघेल, भूगोल अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	
		B.A-I-Sociology	40		4. डॉ. ध्रुव कुमार पाण्डेय, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर	
		निरीक्षण तिथि – 22.10.2020			5. डॉ. हेमलता बोरकर, समाजशास्त्र अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	
		1. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित – No, Running on middle School Bhatgaon.				
		2. कक्ष उपलब्धता – 09				
		3. प्रयोगशाला हेतु कक्ष उपलब्धता – 01				
		4. प्रयोगशाला हेतु उपकरण की उपलब्धता – Few instruments available. list Enclosed.				
		5. विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – Chemistry-1(regular), Zoology-1(regular),, Botany-1, Geography-1(regular), Political Sc.-1 (Contract), Economics-1 (regular), English-1(regular), Hindi-1(regular), Commerce-1(regular),				
		6. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – Post of librarian not sanctioned Books (total) : 1000 Nos				
		7. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं – Facilitation are inadequate.				
		8. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की सम्बद्धता निरीक्षण के संबंध में – Most of the requirement have been fulfill.				
		9. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :–				
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Should have own building. ■ Should have independent labs. ■ Books are requirement. 				

	10. सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में कमियों का विवरण –				
	<ul style="list-style-type: none"> ● Books & every equipments chemicals should be purchased. ● Should have separate building. ● Should have departmental books for various subjects. ● Should have a library. 				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(ii)	<p>शास. नवीन महाविद्यालय, पिरदा, जिला—महासुंद</p>	<p>B.Sc.-III- Bio. & Maths Group- Chemistry, Botany, Zoology, Maths, Physics</p> <p>B.A.-III- (F.C.- Hindi, English), Economics, Geography History, Hindi Litt.)</p>	<p>99</p> <p>99</p>	2020–21	<p>1. डॉ. आरती परगनिहा, बायोसाइंस अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर</p> <p>2. डॉ. मधुलता बारा, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर</p>
	<p>निरीक्षण तिथि – 22.10.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय शास. उ.मा. शाला में संचालित है। 2. भवन, मानदंड के अनुरूप उपलब्धता अपर्याप्त है। 3. प्रयोगशाला हेतु कक्ष – अनुपलब्ध। 4. प्रयोगशाला हेतु उपकरण – अपर्याप्त। 5. शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता – 01 Regular faculty, 09 faculty required. 6. ग्रंथालय एवं ग्रंथपाल – किताबों की संख्या विषयवार संलग्न है। ग्रंथालय नहीं है। 7. अन्य सुविधाएं अनुपलब्ध हैं। 8. पूर्व में दी गई शर्तें / कमियों की पूर्ति – कुछ किताबें, फर्नीचर एवं प्रयोगिक सामान क्रय की गई हैं। <p>सम्बद्धता दिए जाने हेतु शर्तें / कमियों का उल्लेख –</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वयं की भूमि एवं भवन ● नियमित शिक्षकों की व्यवस्था ● ग्रंथालय ● प्रयोगशाला <p>उपरोक्त सभी कमियों को पूरा किया जाना है।</p>				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iii)	शास.दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महा. बलौदाबाजार	M.Sc.-I/II Sem. Zoology B.A.-I- History B.Sc.-I- Computer Sc. B.C.A.-III	20 40 40 30	2020–21	1. डॉ. एस.के प्रसोद, बायोसाइंस अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. दिश्वर नाथ खुंटे, इतिहास अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. सुरेन्द्र कुमार पठेल, शास. नागार्जुन विज्ञान पी.जी. महा. रायपुर
	निरीक्षण तिथि – 16.10.2020				
	<ol style="list-style-type: none"> महाविद्यालय के पास 24.65 एकड़ भूमि उपलब्ध है। महाविद्यालय के पास शासकीय भवन उपलब्ध है। मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – 60 प्रायोगिक हेतु 6 कक्ष उपलब्ध है। प्रयोगशाला हेतु उपकरण की आवश्यकता है। शासन के नियमानुसार History and Computer Sc. में कोई नियमित शिक्षक नहीं है। नियमित ग्रंथपाल नहीं है। पुस्तकें कक्षा विषयों में अपर्याप्त हैं, सभी विषयों में पुस्तक क्रय करना अनिवार्य है। Infrastructure sufficient है। पूर्व में दी गई शर्तें/कमियों की पूर्ति – कुछ कमियों को पूर्ण कर लिया गया है। कुछ करना बाकी है। जैसे – Computer License पाठ्यक्रम के अनुसार क्रय किया जाना है। Lab में Net Connection एवं Wi-fi की आवश्यकता है। Zoology lab को तकनीकी रूप में उन्नत करने की आवश्यकता है। <p>सम्बद्धता दिए जाने हेतु शर्तें/कमियों का उल्लेख –</p> <ol style="list-style-type: none"> Appointement of regular teacher and supporting staff. Edequate equipment to conduct practical as per course syllabus. Book, Computer License S/s as per course syllabus. 				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iv)	शास. नवीन महाविद्यालय, चिरको, जिला—महासमुंद	B.Sc.-II- Bio Group - Chemistry, Botany, Zoology B.A.-II- (F.C.- Hindi, English), Geography, History, Hindhi Litt., Political Sc. B.Com.-II- All Compulsory Subject	90 90 90	2019–20	1. डॉ. ए.के गुप्ता, बायोसाइंस अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. एम.के. देब, रसायनशास्त्र अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. एन.के. बाघमार, भूगोल अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 4. बंशो नुरुटी, इतिहास अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 5. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शास. महावि. कुरुद, जिला—धमतरी

निरीक्षण तिथि – 27.10.2020

1. नवीन शासकीय महाविद्यालय है। रस्थापना सत्र 2018–19
 2. स्वयं के भवन में संचालित नहीं है, प्राथमिक विद्यालय के कुछ कक्ष एवं पंचायत भवन में चल रहा है।
 3. भवन मानदंड के अनुरूप नहीं है।
 4. प्रायोगिक हेतु कक्ष नहीं है। अपर्याप्त व्यवस्था है।
 5. प्रयोगशाला हेतु उपकरण बहुत सीमित है। उपकरण अपर्याप्त है। छात्र संख्या के अनुरूप व्यवस्था आवश्यक है।
 6. शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – 10 सहायक प्राध्यापक स्वीकृत, 2 कार्यरत हैं। संविदा शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी वर्तमान में सिर्फ 2 शिक्षक हैं।
 7. ग्रंथालय नहीं है। पुस्तकों सीमित है। विषयों की पुस्तकों की अत्यन्त आवश्यकता है।
 8. उपलब्ध अन्य सुविधाएं – सुविधाएँ संतोषप्रद नहीं हैं। पेयजल एवं प्रसाधन की सुविधाएं असंतोषप्रद हैं।
 9. पूर्व निरीक्षण समिति द्वारा दी गई शर्तों का पालन – नहीं की गई है।
 10. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य – प्रयोगशाला परिचारक नहीं है। जगह की कमी है।
- सम्बद्धता दिए जाने हेतु शर्तें/कमियों का उल्लेख –**
1. नियमित शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है।
 2. प्रयोगशाला स्थापित किया जाना आवश्यक है।
 3. महाविद्यालय के अनुरूप भवन व कक्षों की आवश्यकता है।
 4. ग्रंथालय, पुस्तकों छात्र अनुरूप आवश्यक है।
 5. उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर इत्यादि एवं मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(v)	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, देवभोग रोड, गरियाबंद	P.G.D.C.A.	30 सीट वृद्धि (पूर्व सीट सं.-70)	2020–21	1. डॉ. ए.के गुप्ता, बायोसाइंस अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
		D.C.A.	30 सीट वृद्धि (पूर्व सीट सं.-45)		2. डॉ. एम.के. देब, रसायनशास्त्र अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
		नवीन पाठ्यक्रम B.Sc.-I- Bio Group - Chemistry, Botany, Zoology	30		3. डॉ. एन.के. बाधमार, भूगोल अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 4. बंशो नुरुली, इतिहास अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 5. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शास. महावि. कुरुद, जिला—धमतरी

निरीक्षण तिथि – 17.10.2020

1. समिति /संस्था का पंजीयन वैधता – आजीवन (1303)
2. अविवादित स्वामित्व की भूमि – 9 एकड़
3. इंडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि – 15 लाख
4. वर्तमान में शासी निकाय में अध्यक्ष नहीं हैं।
5. स्वयं का भवन है।
6. भवन में 04 कक्ष हैं।

	<p>7. प्रायोगिक हेतु 8 कक्ष उपलब्ध है।</p> <p>8. प्रायोगिक हेतु 8 कक्ष उपलब्ध है, परन्तु और उपकरण क्रय किया जाना आवश्यक है।</p> <p>9. 11 शिक्षक परिनियम 28 के तहत नियुक्ति किया जाना शेष है।</p> <p>10. परिनियम 28 के तहत ग्रंथपाल की नियुक्ति शेष है। पुस्तकों की सूची संलग्न है और कुछ पुस्तकों की क्रय किया जाना है।</p> <p>सम्बद्धता दिए जाने हेतु शर्तें/कमियों का उल्लेख –</p> <ol style="list-style-type: none"> परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना है। संदर्भ पुस्तकों क्रय किया जाना आवश्यक है। रसायन प्रयोगशाला हेतु कैमीकल क्रय किया जाना है। कम्प्यूटर लैब हेतु लायसेंस साप्टवेयर क्रय किया जावे।
--	--

4. विनियम क्रमांक 182 "Regulation relating to Examination during COVID-19 Pandemic (COVID-19 महामारी के दौरान परीक्षा से संबंधित विनियम)" में संशोधन के संबंध में विचार करना।

टीप : 1 /

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक 3-33/2020/38-1 दिनांक 14.10.2020 अनुसार विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.06.2020 एवं 30.07.2020 में क्रमशः निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है –

(अ) निर्देश दिनांक 01.06.2020 की कंडिका-1 का पैरा-2 उपरोक्त पद्धति से जारी अंकसूची के स्थान पर यदि कोई विद्यार्थी श्रेणी सुधार करना चाहे तो आगामी वर्ष/सेमेस्टर में विशेष परीक्षा की व्यवस्था की जावे।

(ब) निर्देश दिनांक 30.07.2020 की कंडिका-1.5 – किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षाफल से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। (इसके लिए स्थितियाँ सामान्य होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विशेष परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जाए।)

2 / उपरोक्त प्रसारित निर्देश के संबंध में कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा की गई पृच्छा के अनुक्रम में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

निर्देश दिनांक 30.07.2020 की कंडिका 1.5 में कोष्टक में अंकित (इसके लिए स्थितियाँ सामान्य होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विशेष परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जाए।) अंश को विलोपित किया जाता है। निर्देशानुसार विशेष परीक्षाओं की समय सारिणी का निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर से किए जाने का निर्देश है।

विनियम क्रमांक 182 में निम्नानुसार संशोधन किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है –

कंडिका	पूर्व प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.4	किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षाफल से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। (इसके लिए स्थितियाँ सामान्य होने पर विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।)	किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षाफल से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। विनियम क्र. 182 के प्रावधान आधारित
2.5	—	पद्धति से जारी अंकसूची के स्थान पर यदि कोई विद्यार्थी श्रेणी सुधार करना चाहे तो आगामी वर्ष/सेमेस्टर में विशेष परीक्षा की व्यवस्था की जाए।

5. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की निम्नलिखित परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को सत्र 2020–21 से स्वर्ण–पदक प्रदान करने हेतु नवीन विनियम की अनुशंसा करना –

1. एम.एस–सी. गणित
2. एम.ए./एम.एस–सी. भूगोल
3. एम.ए. समाजशास्त्र
4. एम.ए. राजनीति विज्ञान

टीप : (1) दानदाता डॉ. अवध राम चंद्राकर द्वारा “अवध–प्रतिभा चन्द्राकर अंतरजातीय–विवाह–प्रचार स्वर्ण–पदक, कुरुद” (क्र. 1) (“AWADH-PRATIBHA CHANDRAKAR ANTARJATIYA-VIVAH-PRACHAR GOLD MEDAL, KURUD” (No. 1)) के नाम से सत्र 2020–21 विश्वविद्यालय की परीक्षा एम.एस–सी. गणित (M.Sc. Mathematics) की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा को स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4315/81, Dated- 23-10-2020 के द्वारा रूपये 50,000/- आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 185 का अनुमोदन एवं स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

(2) दानदाता डॉ. अवध राम चंद्राकर द्वारा “अवध–प्रतिभा चन्द्राकर अंतरजातीय–विवाह–प्रचार स्वर्ण–पदक, कुरुद” (क्र. 2) (“AWADH-PRATIBHA CHANDRAKAR ANTARJATIYA-VIVAH-PRACHAR GOLD MEDAL, KURUD” (No. 2)) के नाम से सत्र 2020–21 विश्वविद्यालय की परीक्षा एम.ए./एम. एस–सी. भूगोल (M.A./M.Sc. Geography) की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा को स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4315/82, Dated- 23-10-2020 के द्वारा रूपये 50,000/- आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 186 का अनुमोदन एवं स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

(3) दानदाता डॉ. अवध राम चंद्राकर द्वारा “अवध–प्रतिभा चन्द्राकर अंतरजातीय–विवाह–प्रचार स्वर्ण–पदक, कुरुद” (क्र. 3) (“AWADH-PRATIBHA CHANDRAKAR ANTARJATIYA-VIVAH-PRACHAR GOLD MEDAL, KURUD” (No. 3)) के नाम से सत्र 2020–21 विश्वविद्यालय की परीक्षा एम.ए. समाजशास्त्र (M.A. Sociology) की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा को स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4315/83, Dated- 23-10-2020 के द्वारा रूपये 50,000/- आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 187 का अनुमोदन एवं स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

- (4) दानदाता डॉ. अवध राम चंद्राकर द्वारा “अवध-प्रतिभा चन्द्राकर अंतरजातीय-विवाह-प्रचार स्वर्ण पदक, कुरुद” (क्र. 4) ("AWADH-PRATIBHA CHANDRAKAR ANTARJATIYA-VIVAH-PRACHAR GOLD MEDAL, KURUD" (No. 4)) के नाम से सत्र 2020–21 विश्वविद्यालय की परीक्षा एम.ए. राजनीति विज्ञान (M.A. Political Science) की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4315/84, Dated- 23-10-2020 के द्वारा रूपये 50,000/- आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 188 का अनुमोदन एवं स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।
6. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :—
- | क्रमांक | शासकीय महाविद्यालय |
|---------|--|
| 1 | शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव, रायपुर (सत्र 2019–20) |
| 2 | शास. वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद (सत्र 2018–19 एवं 2019–20) |
| 3 | बुढान शाहजी शासकीय महाविद्यालय, तेंदुकोना, जिला-महासमुंद (सत्र 2019–20) |
| 4 | शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय, महासमुंद (सत्र 2019–20) |
| 5 | शास. जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सत्र 2020–21) |
- | क्रमांक | अशासकीय महाविद्यालय |
|---------|---|
| 1 | शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोरा भाठा, रायपुरा, रायपुर (सत्र 2020–21) |
| 2 | शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मांडर, रायपुर (सत्र 2020–21) |
7. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थायी समिति की सोमवार, दिनांक 02.11.2020 को समय
मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित बैठक की पूरक विषयसूची

- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	
(i)	शासकीय माता कर्मा कन्या महा. (मचेवा) महासमुंद	M.Sc.-I/II Sem. - Microbiology	20	2020–21	1. प्रो. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर	
		M.A.-I/II Sem. - Geography	20		2. डॉ. टी.एल. वर्मा, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर	
		B.Sc.- Ist Year-Zoology	40		1. प्रो. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर	
		B.A.-I- Year Hindi Litt. English Litt	40		2. डॉ. स्मिता शर्मा, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर	
	M.Sc.-I/II Sem. - Microbiology/ M.A.-I/II Sem. - Geography					
	निरीक्षण तिथि :- 29.10.2020					
	<ol style="list-style-type: none"> महाविद्यालय का स्वयं का भवन है। मानदंड के अनुरूप कक्ष पर्याप्त है। प्रयोगशाला कक्ष उपलब्ध है। प्रयोगशाला हेतु उपकरण – सीमित मात्रा में उपलब्ध है। पाठ्यक्रम अतिरिक्त उपकरण क्रय करना आवश्यक है। कुल 2–2 शिक्षक पद स्वीकृत है। कम से कम 1–1 शिक्षक की और आवश्यकता है। पद पर नियुक्ति आवश्यक है। नियमित ग्रंथालय है। पुस्तकें सीमित हैं। अतिरिक्त पुस्तकें पाठ्यक्रम अनुसार क्रय करना है। मूलभूत सुविधाएं हैं। प्रयोगशाला परिचारक एवं लैब टेक्निशियन होना आवश्यक है। कम्प्यूटर की सुविधा एवं इंटरनेट व्यवस्था की जानी चाहिए। 					
	सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु शर्तें / कमियाँ –					
	<ol style="list-style-type: none"> शिक्षकों की नियमित नियुक्ति। दोनो विषय में 1–1 अतिरिक्त शिक्षक प्रयोगशाला परिचारक आवश्यक है। प्रयोगशाला में उपकरण, एवं अन्य सुविधाएं पाठ्यक्रम अनुरूप होनी चाहिए। पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें एवं शोध पत्रिका की व्यवस्था पाठ्यक्रम अनुरूप क्रय करना अनिवार्य है। 					
	B.Sc.- Ist Year- Zoology /B.A.-I- Year Hindi Litt., English Litt					
	निरीक्षण तिथि :- 29.10.2020					
	<ol style="list-style-type: none"> महाविद्यालय के पास 7.125 एकड़ भूमि उपलब्ध है। महाविद्यालय का स्वयं का भवन है। मानदंड के अनुरूप कक्ष पर्याप्त है। प्रयोगशाला कक्ष उपलब्ध है। 					

5. प्रयोगशाला हेतु उपकरण – जन्तु विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम अनुसार प्रायोगिक सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना है।
6. शासन द्वारा 1-1 सहायक प्राध्यापक की स्वीकृति की गई है। जन्तु विज्ञान के लिए प्रयोगशाला टेक्निशियन का पद स्वीकृत किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
7. नियमित ग्रंथालय है। पुस्तकों सीमित है। अतिरिक्त पुस्तकों पाठ्यक्रम अनुसार क्रय करना है।
8. मूलभूत सुविधाएँ हैं।
9. स्नातक प्रथम वर्ष में अतिरिक्त नए विषय के लिए प्रस्ताव का निरीक्षण है।
10. महाविद्यालय में प्रायोगिक विषय के लिए टेक्निशियन एवं लेब अटेंडेंट आवश्यक है। कम्प्यूटर सेट/इंटरनेट की व्यवस्था आवश्यक है।

सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु शर्तें/कमियाँ –

1. नियमित शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
2. जन्तु विज्ञान विषय की प्रायोगशाला स्थापित करना।
3. प्रयोगशाला टेक्निशियन एवं अटेंडेंट पुस्तकों की नियुक्ति।
4. विषयों की पाठ्यक्रम अनुरूप पुस्तकों क्रय करना।
5. ग्रंथालय में कम्प्यूटर/इंटरनेट की सुविधा।

उपरोक्त सभी आवश्यक हैं।

2. मूल विज्ञान केंद्र में सत्र 2020-21 में मेरिट के आधार पर प्रवेश के संबंध में विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संचालित मूल विज्ञान केंद्र में पंचवर्षीय एकीकृत एम. एस-सी. पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा के (CBS EST) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है, वर्तमान में COVID-19 महामारी को देखते हुए सत्र 2020-21 में प्रवेश परीक्षा के स्थान पर प्रवेश की पात्रता के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार अर्हकारी परीक्षाओं (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित/जीव विज्ञान) में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाना प्रस्तावित है, इस प्रस्ताव की सक्षम अनुमोदन व CBS Staff Council में रखे जाने उपरांत विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

3. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव